



बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014

संख्या—व.सं. / 40 / 2022 - 248

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी

उप वन संरक्षक।

सेवा में,

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण),

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार।

पटना 14, दिनांक— 13/04/2023

विषय –

अररिया जिलान्तर्गत अररिया—ठाकुरगंज नई B.G. रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 8.243 हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग –

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/RAIL/153523/2022/1034 दिनांक 10.04.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 8.243 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग—A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग—A में 1—9 शर्तें तथा भाग—B में 1—11 शर्तें अधिरोपित हैं जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग—A के शर्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ₹० 37,39,800/- (रुपये सैतीस लाख उचालीस हजार आठ) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर ₹० 388/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय—समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग—A के शर्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 8.243 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि ₹ 9,577,80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल ₹० 78,94,981/- (रुपये अठतहर लाख चौरानवें हजार नौ सौ इकासी) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि ₹० 1,16,34,781/- (रुपये एक करोड़ सौलह लाख चौतीस हजार सात सौ इकासी) मात्र को मंत्रालय के वेब—साईट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-9 शर्तों तथा भाग-B में सन्निहित 1-11 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

~~NET  
85/04/2023  
13.4.23~~

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक- व.सं./40/2022-278 दिनांक- 13/04/2023

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया/वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~विश्वासभाजन  
13.04.23  
नन्द कुमार मांझी~~  
उप वन संरक्षक।

~~विश्वासभाजन  
85/04/2023  
13.4.23  
8826063410~~